कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
छठवॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

पत्रांकः– /अ–2/मु0अ0(ज0वि0)/ दिनांकः सितम्बर , 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवा वरि ठता(तृतीय संशोधन) अधिनियम–2007 द्वारा निविष्ट नियम–8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–8/4/1/2002 टी0सी0–1का–2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0–60–विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ–3 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा–3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ–5 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुये, उन्हें एतदद्वारा स्तम्भ–6 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है :–

क्रमांक	रोल नं0	नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	आवंटित इकाई	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	स्तम्भ–7 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	382	राम प्रकाश रवि	सुक्खी लाल रवि	05.01.70	पारेषण मध्य (झॉसी तेनाती हेतु)	अवर अभियन्ता	एस0एस0ओ0
2	212	मुन्नी लाल	मोहन लाल	20.09.60	वि0 अनुतंरग एवं दूरसंचार मंडल, लखनऊ	अवर अभियन्ता	टी0जी0–2
3	397	राम औतार सिंह	रघुवीर सिंह	01.09.61	पारेषण पश्चिम	अवर अभियन्ता	एस0एस0ओ0

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तद्नुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेगे।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

संख्याः–1486/अ–2/तद्दिनांक 08/09/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (का0 प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ/केस्को, कानपुर तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाट्राकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ तैनात उक्त अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान पद से तत्काल अवमुक्त करके उनकी सेवा पुस्तिका में अंकन के अनुसार उन्हें

अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति से पूर्व के पद के नियोक्ता निगम के मण्डल/खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने की कार्यवाही करेगे। नियोक्ता निगम में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् इन कार्मिकों के नियमानुसार पुनः तैनाती मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्वि–सदस्यीय समिति का यथा वांछित अनुमोदन प्राप्त कर सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि इन कार्मिकों के नीचे के पद पर पदावनत किये जाने की स्थिति बनती है तो कारपोरेशन आदेश सं0–60–विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत यह कार्यवाही भी नियोक्ता निगम के सक्षम स्तर से सुनिश्चित की जायेगी। इन कार्मिकों के पदोन्नति किये जाने की स्थिति बनने पर नियोक्ता निगम द्वारा तदानुसार सूची तैयार कर विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ को चयन/पदोन्नति हेतु यथा शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या 414/2015 में दिनांक 20.05.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेगे कि उक्त कार्मिकों को किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

3. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ को संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार करने एवं उक्त पदावनति के फलस्वरूप हुई रिक्तियों पर पुनरीक्षित चयन/पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(बसन्त राम)
वैयक्तिक सहायक–षष्टम
कृते मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)